आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 28.04.2025 समय : 1905

<><><><><><><><>

- भारत ने भ्रामक सूचना फैलाने पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आज ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने की सहमति व्यक्त की।
- श्री विजयपुरम में सर्किट कोर्ट दो मई तक चलेगी।
- सांसद बिष्णु पद रे ने स्थायी सुनामी शेल्टर के लोगों को किरायेदारी अधिकार प्रदान करने की मांग की।

<><><><><><><><>

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूट्यूब चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित चैनलों के 6 करोड़ तीस लाख से अधिक दर्शक हैं। सरकार ने हमले पर बी.बी.सी. की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत के बी.बी.सी. प्रमुख को देश की भावनाओं से अवगत कराया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए बी.बी.सी. को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है और आगे विदेश मंत्रालय द्वारा बी.बी.सी. की रिपोर्टिंग पर नज़र रखी जाएगी।

<><><><><><><><>

सर्वोच्च न्यायालय ने आज ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने की सहमति व्यक्त की। इस मुद्दे ने गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि कुछ और विनियमनों पर विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका ने महत्वपूर्ण चिंता का विषय उठाया है और केंद्र सरकार और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और ऐप्पल को नोटिस जारी किया। पीठ ने याचिका को अन्य समान लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।

<><><><><><><><>

दक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसे मातृ मृत्यु दर और मृत शिशु जन्म दर को कम करने के उद्देश्य से दो हजार पन्द्रह में शुरू किया गया था। इस पहल को द्वीपसमूह में लागू करने के तहत प्रसवकालीन और प्रसव के दौरान मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में श्री विजयपुरम में चिकित्सा अधिकारियों के पहले बैच के लिए दक्षता पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के प्रभारी डॉ एचएम सिद्धाराजू ने किया। इस अवसर पर डॉ एम के साहा, डॉ. प्रगदीश के अलावा अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसव कक्षों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से कुल 09 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

<><><><><><><><>

डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टोर अटेंडेंट के पद के लिए चयन और प्रतीक्षा सूची भर्ती पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

<><><><><><><><>

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कलकत्ता बेंच की ओर से श्री विजयपुरम में सर्किट कोर्ट आज से शुरू हो चुकी है, जो दो मई तक चलेगी। इसमें नए आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। जिन विभागों के मामले कैट के समक्ष विचाराधीन है, उन्हें सरकारी वकील से दस्तावेजों के साथ संपर्क करने को कहा गया है। विभागाध्यक्षों से भी कहा गया है कि वे सुनवाई के दिन जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नोडल अधिकारियों को कैट में उपस्थित रहने का निर्देश दें।

<><><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में सुनामी प्रभावित परिवारों के स्थायी सुनामी शेल्टर के लोगों को किरायेदारी अधिकार प्रदान करने की मांग की है। उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि कैम्पबेल बे, लिटिल अंडमान, सिप्पीघाट, टेलराबाद, बर्मानाला, कालीकट, छोलदारी, नयाशहर, बम्बूफ्लाट जैसे विभिन्न स्थानों पर निर्मित स्थायी सुनामी आश्रयों को प्रभावित परिवारों को आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के पास किसी भी औपचारिक किरायेदारी पत्र उपलब्ध न होने के कारण उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने, विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने और जर्जर अवस्था वाले शेल्टरों की मरम्मत करने से वंचित है। श्री रे ने शेल्टरों के लिए

लाइसेंस जारी करने के माध्यम से किरायेदारी अधिकार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 और संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत इन परिवारों को प्रदान करने का अनुरोध किया है। उपराज्यपाल ने इन समस्याओं पर विचार करने, उन्हें कानूनी सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

<><><><><><><>

डीब्रेट में पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी–टेक की मई–जून की थ्यौरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से पांच मई तक किया जाएगा। बी–टेक के बकाया पेपर वाले और नियमित छात्र परीक्षा पंजीकरण, परीक्षा शुल्क भुगतान तथा थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए अपने विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। ये योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, कृषि श्रमिकों और कारीगर समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में मास्टर या पी एच डी करने में सहायता करेगी। पोर्टल कल से चार दिनों के लिए पुनः खोली जा रही है, ताकि जमा किए गए आवेदनों में आवश्यक सुधार किया जा सके।

<><><><><><><>

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ओर से 9 से 11 मई तक पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जिला तकनीकी अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह कोर्स द्वीपसमूह में युवा, मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय खेल महासंघ की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। ए एफ आई ने इस कोर्स के लिए वी. श्रीकुमार को व्याख्याता–सह–परीक्षक के रूप में नामित किया है। अंडमान निकोबार एथलेटिक्स संघ ने इच्छुक एथलीटों, पीईटी, बीपीई छात्रों, एथलेटिक प्रमोटरों और अधिकारियों से भाग लेने का अनुरोध किया है। इच्छुक उम्मीदवारों से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से तीस अप्रैल तक पंजीकरण करने का कहा गया है।

<><><><><><><>

भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत, अण्डमान निकोबार प्रशासन वन स्टॉप सेंटर योजना को लागू कर रहा है। यह योजना निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर संकट के दौरान हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करेगी। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के खिलाफ

किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सा, कानूनी, न्यूनतम पांच दिनों का अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का काम करेगी। वर्तमान में द्वीपसमूह में तीन वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध हैं, जो जंगलीघाट, मायाबंदर और निकोबार के परका मुख्यालय में काम कर रहे हैं। महिलाएं दक्षिण अंडमान के वन स्टॉप सेंटर के फोन 03192–234221 पर संपर्क कर सकती है।

<><><><><><><><>

स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ–सफाई और स्वच्छता का जायजा लेने के लिए पद्मश्री और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसेडर नरेश चन्द्र लाल ने आज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, हैडो हिन्दी माध्यम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से अपने स्कूल परिसर के साथ–साथ अपने घर के आस–पास भी सफाई बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी छात्रों से हानिकारक पदार्थों से दूर रहते हुए खुद को फिट रखने को भी कहा। श्री लाल ने सभी से पानी बचाने का अनुरोध किया। इस दौरान उनके साथ स्कूल के उप–प्रधानाचार्य आर. सेथुकराई उपस्थित थे।

<><><><><><><><>